

(30.06.2025 तक यथा संशोधित)

नागरिक चार्टर

(2025-26)



राष्ट्रीय न्यास

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता और बहुदिव्यांगता से
प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार

छठीं मंजिल, एनआईएसडी बिल्डिंग, जी-2, सेक्टर 10, द्वारका नई दिल्ली-110075

वेबसाइट- www.nationaltrust.nic.in ई-मेल: contactus@thenationaltrust.in

दूरभाष: 011-65216000

अनुक्रमणिका

क्रम सं०.	विवरण	पृष्ठ संख्या .
1	प्रस्तावना	3-4
2	विजन और मिशन	4
3	प्रमुख सेवाएं/कार्य	4
4	सेवा/कार्य	4-34
5	सेवा मानकों की आवश्यकता	34-42
6	संपर्क किये जाने वाले व्यक्ति	44-46
7	नागरिक चार्टर के लिये नोडल अधिकारी	46
8	शिकायत निवारण तंत्र (i) जन शिकायत पोर्टल (ii) सूचना का अधिकार केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी	46-47
9	हितधारकों की सूची	47
10	सेवा प्राप्तकर्ताओं से अपेक्षाएँ	47

परिचय

राष्ट्रीय न्यास संसद के एक अधिनियम के माध्यम से गठित एक स्वायत्त निकाय है जिसका नाम है- ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता (बौद्धिक दिव्यांगता) और बहुदिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 ।

अधिनियम की धारा 10 के अनुसार राष्ट्रीय न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

- क) दिव्यांगजनों को समर्थ और सशक्त बनाना ताकि वे उस समाज से पूरी तरह जुड़कर यथासंभव स्वतंत्र जीवनयापन कर सकें, जिसके वे अभिन्न अंग हैं;
- ख) दिव्यांगजनों को अपने ही परिवार में रहने की सुविधाओं को अधिक मजबूत बनाने के लिये सहायता प्रदान करना;
- ग) दिव्यांगजनों के परिवार में संकटकाल में आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करना;
- घ) दिव्यांगजनों की समस्याओं का समाधान करना जिन्हें पारिवारिक सहायता नहीं मिलती;
- ड) माता पिता या अभिभावक की मृत्यु की स्थिति में दिव्यांगजनों की देखभाल और सुरक्षा उपायों को प्रोत्साहित करना;
- च) दिव्यांगजनों, जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है, के लिये कानूनी संरक्षकों और न्यासियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया तैयार करना;
- छ) दिव्यांगजनों की पूर्ण भागीदारी, समान अवसर और सुरक्षा अधिकार प्राप्त किये जाने को सुगम बनाना; और
- ज) कोई अन्य कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक हो।

राष्ट्रीय न्यास की स्थापना दो बुनियादी कर्तव्यों - कानूनी और कल्याण - के निर्वहन के लिये की गई है। दिव्यांगजनों को स्थानीय स्तरीय समितियों के माध्यम से कानूनी संरक्षकता प्रदान करके कानूनी कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है।

पंजीकृत संगठनों के द्वारा लागू की जा रही योजनाओं के माध्यम से कल्याणकारी गतिविधियां चलाई जाती हैं। राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम, आश्रय और सशक्तिकरण शामिल हैं। राष्ट्रीय न्यास, अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजनों को समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2. विजन और मिशन

विज़न: एक समावेशी समाज जो मानव विविधता को महत्व देता है और दिव्यांगजनों की पूर्ण भागीदारी को सम्मान, समान अधिकारों और अवसरों के साथ स्वतंत्र रूप से जीने में सक्षम और सशक्त बनाता है।

मिशन: राष्ट्रीय न्यास दिव्यांगजनों और उनके परिवारों की क्षमता निर्माण के अवसर प्रदान करने, उनके अधिकारों को पूरा करने, एक सक्षम वातावरण और एक समावेशी समाज के निर्माण को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने की दिशा में काम करता है।

3. प्रमुख सेवायें/कार्य

न्यास की सभी योजनाएं/कार्यक्रम पूरे देश में पंजीकृत संगठनों और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 13 के तहत गठित स्थानीय स्तरीय समितियों के माध्यम से, योजना दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की जाती हैं।

4. सेवा/ कार्य

क्रम सं.	प्रमुख सेवायें/ कार्य	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज
1	गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण/ पंजीकरण का	(I) गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण/ पंजीकरण का नवीनीकरण (क) पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड -	(I) गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण/ पंजीकरण का नवीनीकरण (क) राष्ट्रीय न्यास के नियम 27(3) के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म-ई (ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरते समय ऑनलाइन

नवीनीकरण

- निम्नलिखित तीन श्रेणियों के गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) - स्वैच्छिक संगठन / दिव्यांगजनों के अभिभावकों का संघ / दिव्यांगजनों का संघ, जो पहले से ही ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता और बहुदिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं - आवेदन कर सकते हैं;
- एनजीओ को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत या सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत होना चाहिए;
- एनजीओ को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत भी पंजीकृत होना चाहिए;
- इसके अलावा, उसे नीति आयोग के एनजीओ-दर्पण पोर्टल पर भी पंजीकृत होना चाहिए;
- शहरी क्षेत्र के गैर सरकारी संगठनों के लिए पंजीकरण शुल्क रु. 2000/- और ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों के लिये रु. 1000/- है। ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरते समय शुल्क

सिस्टम के माध्यम से उत्पन्न किया जाना है)।

(ख) सभी पृष्ठों पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए। राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए संगठन का संकल्प और प्राधिकरण एमओए / ट्रस्ट डीड आदि के साथ ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किया जाना चाहिए।

(ग) पिछले दो वित्तीय वर्षों के लेखा परीक्षित वार्षिक खाते।

(घ) राष्ट्रीय न्यास की दिव्यांगताओं संबंधी गतिविधियों पर विशेष ध्यान देते हुए पिछले वर्ष की गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट।

(ङ) गवर्निंग बॉडी के सदस्यों / बोर्ड ट्रस्टियों / प्रबंधन समिति के सदस्यों के विवरण के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, यानी सोसायटी के रजिस्ट्रार आदि द्वारा जारी नवीनतम प्रमाण पत्र के साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) / ट्रस्ट डीड (एक पीडीएफ फाइल में मर्ज के करने बाद अपलोड किया जाना चाहये)।

(च) दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र।

(छ) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम जैसे किसी भी प्रासंगिक अधिनियम के तहत पंजीकरण/समावेशन का प्रमाण पत्र।

(ज) नीति आयोग के एनजीओ-दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण।

(झ) ब्लैकलिस्टिंग के संबंध में एनजीओ के प्रमुख द्वारा वचन पत्र।

(ट) क्या यह अपनी/किराए की इमारत पर स्थित है (आवश्यक साक्ष्य संलग्न करें)

		इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किया जाना चाहिये। (ख) ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरते समय संगठन की सही श्रेणी का चयन करना (नए पंजीकरण के और पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए) - ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरते समय, एनजीओ को उचित रूप से राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकरण की निम्नलिखित तीन श्रेणियों में से एक का चयन करना चाहिए:- • 'दिव्यांगजन संघ' - यदि एनजीओ के 50% से अधिक शासी निकाय सदस्य/बोर्ड ट्रस्टी/प्रबंध समिति के सदस्य दिव्यांग हैं; • 'दिव्यांगजन अभिभावक संघ' - यदि 50% से अधिक शासी निकाय सदस्य / बोर्ड ट्रस्टी / एनजीओ की प्रबंध समिति सदस्य राष्ट्रीय न्यास से संबंधित दिव्यांगजनों के अभिभावक हैं; • 'स्वैच्छिक संगठन'- शेष एनजीओ इस श्रेणी का चयन करें।	(ठ) संगठन पैन कार्ड। (ड) बीस लाभार्थियों के यूडीआईडी कार्ड।
2	स्थानीय स्तरीय समिति और कानूनी	(I) स्थानीय स्तरीय समिति (क) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 की धारा 13 (1) के अनुसार, बोर्ड ऐसे क्षेत्र के लिए एक स्थानीय	

	संरक्षकता	स्तरीय समिति का गठन करेगा जिसे समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है। धारा 13(2) के अनुसार स्थानीय स्तरीय समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे - (i) संघ या राज्य की सिविल सेवा का एक अधिकारी, जो किसी जिले के जिला मजिस्ट्रेट या जिला आयुक्त के पद से नीचे न हो (ii) किसी पंजीकृत संगठन का एक प्रतिनिधि; (iii) दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (टी) में परिभाषित दिव्यांगजन। (ख) सहयोजित अतिरिक्त सदस्य (i) स्थानीय स्तरीय समिति को सलाह दी गई है कि वे अपने कामकाज में सहायता के लिए वैधानिक सदस्यों के अलावा निम्नलिखित को सहयोजित सदस्यों के रूप में शामिल करें:- जिला सामाजिक न्याय अधिकारी/ जिला कल्याण अधिकारी/जिला पुनर्वास अधिकारी/सिविल सर्जन या मुख्य चिकित्सा अधिकारी (ii) जिला अस्पताल के एक मनोचिकित्सक और जिले के एक	डीसी/डीएम का अनुशंसा पत्र
--	-------------------------	--	----------------------------------

प्रतिष्ठित वकील।

2. उपरोक्त के अलावा, समिति न्याय प्रदान करने और अपने प्रभावी कामकाज के लिए किसी सरकारी अधिकारी या दिव्यांगता विशेषज्ञ को भी शामिल कर सकता है।

(ग) स्थानीय स्तरीय समिति के बैंक खाते

(i) एक अलग बैंक खाता "स्थानीय स्तरीय समिति - जिले का नाम, राज्य का नाम" के नाम से खोलना होगा जिसमें पहला हस्ताक्षरी जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट या उसका प्रतिनिधि, दूसरा हस्ताक्षरी एनजीओ सदस्य और तीसरा हस्ताक्षरी स्थानीय स्तरीय समिति का दिव्यांग सदस्य होगा।

(ii) खाता पहले हस्ताक्षरी और दूसरे/तीसरे हस्ताक्षरी में से किसी एक द्वारा संचालित किया जा सकता है।

(iii) चेक बुक/पास बुक और खाता विवरण का संरक्षक स्थानीय स्तर की समिति का एनजीओ सदस्य होगा

(iv) स्थानीय स्तरीय समिति का एनजीओ सदस्य स्थानीय स्तरीय समिति का संयोजक भी होगा।

(II) कानूनी संरक्षकता

(क) संरक्षक की नियुक्ति:

(II) कानूनी संरक्षकता

(क) दिव्यांगजन का जन्म प्रमाण पत्र, जो

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 14(1) के अनुसार, "दिव्यांगजन के अभिभावक या उसके रिश्तेदार दिव्यांगजन के कानूनी अभिभावक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए स्थानीय स्तरीय समिति को आवेदन कर सकते हैं।"

कानूनी संरक्षक वह व्यक्ति होता है जिसे किसी दिव्यांग व्यक्ति या उसकी संपत्ति की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है। वह उस दिव्यांग की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है जिसका उसे संरक्षक नियुक्त किया गया है। संरक्षक दिव्यांग की तरफ से उसकी संपत्ति के लिए सभी कानूनी निर्णय लेता है।

नगर निगम प्राधिकारियों/जन्म पंजीयक/स्कूल प्राधिकारियों/शैक्षणिक बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो।

(ख) निवास प्रमाण पत्र। यदि पता बदल दिया गया है तो इससे संबंधित प्रमाण समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ग) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्यास और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड।

(घ) किसी स्वैच्छिक संगठन या संस्था को संरक्षक नियुक्त करने की स्थिति में आवेदन पत्र के पीछे अभिभावक की सहमति लेनी होगी।

(ड) आवेदक को प्रमाण के मूल दस्तावेज़ जमा करना आवश्यक नहीं है। स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा की जा सकती है और जब भी आवश्यक हो समिति सत्यापन के लिए मूल प्रति प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है।

(च) आवेदक को अकेले (केवल माता-पिता के लिए) आवेदन जमा करने का कारण बताना भी आवश्यक है। इसे आवेदन पत्र में बताया जा सकता है या इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त शीट का उपयोग किया जा सकता है। जहां आवेदक के लिए प्रदान की जाने वाली व्यक्तिगत देखभाल की प्रकृति और रखरखाव का विवरण और चल और अचल संपत्ति का विवरण देना आवश्यक है, जिसे संरक्षक द्वारा प्रबंधित और देखभाल की जानी है, उसे ऐसी संपत्तियों के अस्तित्व के प्रमाण के साथ अतिरिक्त शीट में बताया जा सकता है।

(छ) जब किसी पुरुष आवेदक द्वारा महिला दिव्यांग के लिए संरक्षक की नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करना हो तो, वहां उसकी पत्नी

		(ख) संरक्षक को हटाना: राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार "जब भी किसी दिव्यांग व्यक्ति के माता-पिता या रिश्तेदार या पंजीकृत संगठन को पता चलता है कि संरक्षक – (i) दिव्यांगजन के साथ गलत व्यवहार कर रहा है या उसकी उपेक्षा कर रहा है; (ii) संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है या उसकी उपेक्षा कर रहा है। ऐसे संरक्षक को हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समिति में आवेदन किया जा सकता है।	को सह-संरक्षक के रूप में नियुक्त करना होगा। ऐसे आवेदकों के लिए अपने पत्नी का विवरण जमा करना आवश्यक होगा। यदि उसकी कोई पत्नी नहीं है, तो आवेदन करने का कोई फायदा नहीं होगा।
3	निरामय (स्वास्थ्य बीमा योजना)	(I) योजना के बारे में निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता और बहुदिव्यांगता के व्यक्तियों के लिए है। योजना के तहत, एक लाख रुपये का बीमा कवर है, जिसमें ओपीडी, डायग्नोस्टिक टेस्ट, थेरेपी, सुधारात्मक सर्जरी, वैकल्पिक चिकित्सा (आयुष) और परिवहन शामिल है। योजना के तहत नामांकन के लिए कोई आयु सीमा नहीं है और उपचार किसी भी	(I) नये/नवीनीकरण के लिये आवेदन प्रक्रिया नया नामांकन/नवीनीकरण राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों और राष्ट्रीय संस्थानों के अंतर्गत समग्र क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से व्यक्तिगत लाभार्थियों और उनके देखभालकर्ताओं द्वारा यूडीआईडी कार्ड नंबर या यूडीआईडी नामांकन संख्या (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ) प्रदान करने के बाद ऑनलाइन किया जा सकता है। नोट- निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना, डे केयर

अधिकृत चिकित्सक/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र से कराया जा सकता है। यह प्रतिपूर्ति के आधार पर है। यह योजना पूरे देश में चल रही है।

(क) दिव्यांगजनों का नामांकन:

(i) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत कम से कम एक दिव्यांगता से प्रभावित दिव्यांगजन जिनके पास यूडीआईडी कार्ड या यूडीआईडी नामांकन संख्या (दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ) है, योजना में नामांकन के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(ii) दिव्यांगजनों का नया नामांकन राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों और राष्ट्रीय संस्थानों के अंतर्गत समग्र क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से सीधे माता-पिता/परिवार के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर किया जा सकता है।

(ख) दिव्यांगजनों का नवीनीकरण:

सभी दिव्यांगजन जिनका नामांकन पहले हो चुका है, वे पॉलिसी कवर के मामले में पंजीकृत संगठनों/राष्ट्रीय संस्थानों/समग्र क्षेत्रीय केन्द्रों की मदद से या सीधे

और आवासीय देखभाल योजना के लाभार्थियों को विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड)/यूडीआईडी नामांकन संख्या (दिव्यांगता प्रमाणपत्र के साथ) के साथ लिंक करना अनिवार्य है।

(क) दिव्यांगजनों का नामांकन:

ऑनलाइन माध्यम से विधिवत् भरे गये आवेदन पत्र निम्नलिखित संलग्नकों के साथ जमा करने चाहिये:

(i) यूडीआईडी कार्ड/यूडीआईडी नामांकन संख्या (दिव्यांगता प्रमाणपत्र के साथ)

(ii) बीपीएल कार्ड

(iii) निवास प्रमाणपत्र

(iv) दिव्यांगजन अथवा अभिभावक/संरक्षक/देखभालकर्ता का मोबाइल नं.

(v) अभिभावक का ई-मेल आईडी

(vi) प्राकृतिक माता-पिता के अलावा कानूनी संरक्षकता प्रमाण पत्र (दिव्यांगजन के साथ कानूनी अभिभावक के मामले में)

(vii) दिव्यांगजन के बैंक खाते का विवरण

(b) दिव्यांगजनों का नवीनीकरण:

(i) पंजीकृत संगठन अथवा राष्ट्रीय संस्थान/समग्र क्षेत्रीय केन्द्र दस्तावेजों की वैधता सत्यापित करेंगे, यदि नवीनीकरण उनमें से किसी एक के द्वारा किया गया है।

(ii) ऑन लाइन आवेदन शुल्क का भुगतान

	राष्ट्रीय न्यास के वेबसाइट पोर्टल से अपनी पॉलिसी की समाप्ति से पूर्व हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। . हालाँकि, यदि बाद में आवेदन किया जाता है, तो बीमा कवर हेल्थ कार्ड जारी होने की तारीख से उस वर्ष में 31 मार्च तक होगा। नोट- कृपया 1 अप्रैल से कवरेज के लिए राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर अपलोड सूची में अपने आवेदन आईडी की जांच करें। (ग) बीमा कवर की वैधता नए नामांकन या पॉलिसी का नवीनीकरण कराने वाले लाभार्थियों के लिए बीमा की वैधता बीमा कंपनी द्वारा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की तिथि से उस वर्ष के 31 मार्च तक होगी।	करें (iii) पिछले वर्ष का स्वास्थ्य आईडी कार्ड (iv) यदि कोई परिवर्तन हो तो संबंधित दस्तावेज
	(II) आवेदन शुल्क नामांकन/नवीनीकरण शुल्क एक वर्ष के लिए अर्थात अगले वर्ष 31 मार्च तक है। इसका अर्थ है कि प्रति वर्ष पॉलिसी का नवीनीकरण करना होगा और शुल्क का भुगतान लागू दर के अनुसार ऑनलाइन या बैंक खातों में सिस्टम जनरेटेड बैंक चालान के माध्यम से करना होगा	(II) आवेदन शुल्क राष्ट्रीय न्यास के बैंक खाते में चालान से भुगतान करने के संबंध में नामांकन/नवीनीकरण शुल्क जमा करते समय बैंक पे-इन-स्लिप में चालान संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए।

	जिसका विवरण निम्नलिखित है: (क) नये आवेदन के लिये (i) गरीबी रेखा से नीचे के लिये (बीपीएल) – रु..250/- प्रति वर्ष (ii) गैर बीपीएल – रु. 500/- प्रति वर्ष (iii) दिव्यांगजन जिनके पास कानूनी संरक्षक हैं(प्राकृतिक माता-पिता के अलावा) – निःशुल्क (ख) नवीनीकरण के लिये (i) गरीबी रेखा से नीचे के लिये (बीपीएल) – रु..50/- प्रति वर्ष (ii) गैर बीपीएल – रु. 250/- प्रति वर्ष (iii) दिव्यांगजन जिनके पास कानूनी संरक्षक हैं(प्राकृतिक माता-पिता के अलावा) – निःशुल्क (iv) पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थियों के लिये- निःशुल्क श्रेणी (iii) एवं (iv) के नये आवेदन और नवीनीकरण के लाभार्थी ऑफलाइन चालान जनरेट करें लेकिन शुल्क का भुगतान न करें और चालान के विवरण के बारे में राष्ट्रीय न्यास को सूचित करें।	
	(III) नया/नवीनीकृत स्वास्थ्य आईडी नंबर जारी करना/ई-कार्ड का मुद्रण - ई-कार्ड निरामया कार्ड	(III) नया/नवीनीकृत स्वास्थ्य आईडी नंबर जारी करना/ई-कार्ड का मुद्रण -

	एरिया के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर उपलब्ध है। स्वास्थ्य ई-कार्ड को राष्ट्रीय न्यास के पोर्टल/वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।	निरामय आवेदन आईडी/लाभार्थी आईडी
	(IV) बीमा दावों का निपटान (क) दावाकर्ता द्वारा रक्षा टीपीए प्राइवेट लिमिटेड को प्रस्तुत किये गये दावे की हार्ड कॉपी (बीमा कंपनी या क्लेम प्रोसेसिंग टीपीए में कोई भी बदलाव स्कीम डिटेल्स के अंतर्गत वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा) (ख) दावे को स्कैनिंग के लिये प्रेषण विभाग को भेजा जाएगा तत्पश्चात् क्लेम नंबर जनरेट होगा । (ग) इसके बाद मामले की जांच करने और तदनुसार कार्रवाई करने के लिए इसे संबंधित डॉक्टर टीम को भेजा जाता है।	(IV) बीमा दावों का निपटान दावे के लिये निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है – (क) दावा राशि के साथ दावा आवेदन (ख) मूल डिस्चार्ज समरी (ग) मूल जांच रिपोर्ट (घ) मेडिकल बिल, कैशमेमो, रसीद (मूल रूप में) (ङ) बिल के साथ डाक्टर की पर्ची (च) दिव्यांगता प्रमाणपत्र के साथ यूडीआईडी नामांकन संख्या या यूडीआईडी कार्ड नम्बर (छ) स्वास्थ्य आई डी कार्ड
	(V) पंजीकृत संगठनों को मानदेय (क) पंजीकृत संगठनों से ऑनलाइन प्राप्त नए/नवीनीकरण आवेदन डेटा के आधार पर देय राशि की गणना की जाती है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान किया जाता है। (ख) किसी नये दस्तावेज की जरूरत नहीं होती है। ऑनलाइन	(V) पंजीकृत संगठनों को मानदेय पंजीकृत संगठनों का बैंक विवरण

		नवीनीकरण/ नए डेटा के आधार पर भुगतान सीधे कार्यालय में दर्ज पंजीकृत संगठनों के खाते में जारी किया जाता है।	
4	*दिशा (0-10 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों के लिये बाल्यकालिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना) *वर्तमान में, योजना के अंतर्गत नये कार्यक्रम स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं इसलिये किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।	(I) नामांकन के लिये: दिशा योजना में नामांकन के लिये पात्रता मानक: i. पंजीकृत संगठन को राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकृत होना चाहिये। ii. दिव्यांगजन अधिनियम 1995/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण/ प्रमाण पत्र iii. पंजीकृत संगठन के पास दिव्यांगों के साथ काम करने का न्यूनतम 2 वर्ष और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत चार दिव्यांगताओं में से कम से कम एक से प्रभावित दिव्यांग के साथ काम करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। iv. भवन या तो पंजीकृत संगठन के स्वामित्व में होना चाहिए या पट्टे/किराए पर होना चाहिए।	(I) नामांकन के लिये निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है: i. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र। ii. दिव्यांगजन अधिनियम 1995/ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र। iii. पंजीकृत संगठन द्वारा न्यूनतम 2 वर्ष के अनुभव का घोषणापत्र। iv. आवास प्रमाण: स्वामित्व संबंधी दस्तावेज या लीज डीड प्रपत्र।

		v. पंजीकृत संगठन को योजना के नामांकन के समय राष्ट्रीय न्यास अथवा किसी अन्य सरकारी संगठन से ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिये। vi. समाज कल्याण अधिकारी/ सरकारी अधिकारी/ डीसी/ डीएम शासन द्वारा योजना केन्द्र की नवीनतम फिजिकल सत्यापन रिपोर्ट। vii. मौजूदा सुविधाओं /बुनियादी सुविधाओं का विवरण। viii. चलाई जा रही वर्तमान गतिविधियां। ix. कर्मचारी विवरण (योग्यता और अनुभव के साथ)	v. पंजीकृत संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र । vi. पंजीकृत संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला फिजिकल जांच रिपोर्ट। vii. पंजीकृत संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र। viii. पंजीकृत संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा ix. पंजीकृत संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा
		(II) स्थापना लागत के लिये: पंजीकृत संगठन को प्रारंभ में दिशा केन्द्र स्थापित करने के लिये एकमुश्त 1 लाख 55 हजार रुपये की गैर आवर्ती राशि प्रदान की जाएगी।	(II) स्थापना लागत जारी करने के लिये: i. स्थापना लागत जारी करने के लिये पंजीकृत संगठन का बैंक विवरण ii. पंजीकृत संगठन को पब्लिक फाईनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये।
		(III) जीविका लागत के लिये: राष्ट्रीय न्यास द्वारा दिशा केंद्र को	(III) जीविका लागत के लिये: i. पंजीकृत संगठन द्वारा प्रस्तुत जीविका

		उसकी स्थापना के बाद अधिकतम 3 महीने के लिए मासिक निधि के बराबर, यानी रु. 4500/- प्रति लाभार्थी जीविका लागत दी जायेगी । लाभार्थी द्वारा परिवहन सेवा का उपयोग किये जाने पर प्रति लाभार्थी 1000 रु की दर से परिवहन शुल्क का भुगतान भी किया जाएगा ।	निधि अनुरोध प्रपत्र ii. कार्य शुरू होने की तिथि सहित केन्द्र की स्थापना संबंधी कार्य पूरा होने की रिपोर्ट iii. स्थानीय स्तरीय समिति, राष्ट्रीय न्यास के अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों (समाज कल्याण विभाग के अधिकारी), डीसी, डीएम में से किसी एक के द्वारा फिजिकल जाच के बाद दी गई पूर्णता रिपोर्ट राष्ट्रीय न्यास में धनराशि प्राप्त करने के लिए पहली बार नामांकित होने वाले दिव्यांगजनों को पंजीकृत संगठन द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे:: i. दिव्यांगजन को 0-10 वर्ष की आयु समूह में होना चाहिये। ii. यूडीआईडी कार्ड/यूडीआईडी नामांकन संख्या (दिव्यांगता प्रमाणपत्र के साथ) iii. दिव्यांगजन के निरामय का लाभार्थी होने का प्रमाण
		IV मासिक आवर्ती लागत के लिए: राष्ट्रीय न्यास अपने द्वारा वित्तपोषित दिशा केन्द्रों के सभी पात्र दिव्यांगजनों को केन्द्रों में कार्य शुरू होने के पहले महीने से ही मासिक आवर्ती लागत रु. 4500/- + रु. 1000/- परिवहन लागत (यदि लाभार्थी परिवहन सेवा का उपयोग कर रहा है तो) का भुगतान	IV मासिक आवर्ती लागत के लिए: (a) पंजीकृत संगठन को मासिक आवर्ती अनुरोध प्रपत्र प्रस्तुत करना चाहिए (b) धनराशि प्राप्त करने के लिए पहली बार राष्ट्रीय ट्रस्ट में नामांकित होने वाले दिव्यांगजनों को पंजीकृत संगठन द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे:: • दिव्यांगजन को 0-10 वर्ष की आयु

		करेगा। बीपीएल/एलआईजी लाभार्थियों में से अधिकतम 20 लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत राशि दी जायेगी।	समूह में होना चाहिये। • यूडीआईडी कार्ड/यूडीआईडी नामांकन संख्या (दिव्यांगता प्रमाणपत्र के साथ) • दिव्यांगजन के निरामय का लाभार्थी होने का प्रमाण • राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अभिभवक या संरक्षक का बीपीएल प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र (एलआईजी या बीपीएल श्रेणी के मामले में)। <u>सुरक्षित अधिकार: राष्ट्रीय न्यास के पास किसी भी आवश्यकता के संबंध में पूछने अथवा आरओ केन्द्रों में लेखा परीक्षा कराने या जांच कराने के लिये कहने का अधिकार</u>
		(V) निगरानी तंत्र: दिशा केंद्र की निगरानी प्रत्येक वर्ष में दो बार यानी हर छह महीने के बाद अक्टूबर और मार्च में की जाएगी। दिशा केंद्र को प्रति वर्ष अक्टूबर और मार्च के अंत में दिशा एक्शन डॉकेट जमा करना चाहिए।	i. दिशा केन्द्र का व्यय विवरण ii. पंजीकृत संगठन की वार्षिक रिपोर्ट (वर्ष में एक बार अप्रैल से मार्च तक की रिपोर्ट देनी चाहिये) iii. वर्ष का लेखा परीक्षा खाते का विवरण (प्राप्त होने के 6 महीने बाद केवल एक बार प्रस्तुत करनी चाहिये) iv. केपीआई के अनुसार कार्य निष्पादन के समर्थन में दस्तावेज। v. पिछले वर्ष का लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र vi. योजना केन्द्र का जियो टैग फोटो vii. अतिरिक्त जानकारी जैसे एलपीसी की स्थिति , अवधि के दौरान की गई

			गतिविधियां आदि।
5	*विकास (10 वर्ष से अधिक के दिव्यांगजनों के लिये दिन में देखभाल योजना) *वर्तमान में योजना के अंतर्गत किसी नये कार्यक्रम को स्वीकृति नहीं दी जा रही है इसलिये किसी नये आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा	(I) नामांकन के लिये: विकास योजना में नामांकन के लिये पात्रता मानक: - पंजीकृत संगठन को राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकृत होना चाहिये। - दिव्यांगजन अधिनियम 1995 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण/प्रमाणपत्र। - पंजीकृत संगठन के पास दिव्यांगों के साथ काम करने का न्यूनतम 2 वर्ष और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत चार दिव्यांगताओं में से कम से कम एक दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति के साथ काम करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। - भवन या तो पंजीकृत संगठन के स्वामित्व में होना चाहिए या पट्टे/किराए पर होना चाहिए। - पंजीकृत संगठन को योजना के नामांकन के समय राष्ट्रीय न्यास अथवा किसी अन्य सरकारी संगठन से ब्लैकलिस्ट नहीं होना	नामांकन के लिये निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है: - राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र । - दिव्यांगजन अधिनियम 1995/ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र। - पंजीकृत संगठन द्वारा न्यूनतम 2 वर्ष के अनुभव का घोषणापत्र। - आवास प्रमाण: स्वामित्व संबंधी दस्तावेज या लीज डीड प्रपत्र। - पंजीकृत संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र ।

		चाहिये। vi. समाज कल्याण अधिकारी/ सरकारी अधिकारी/ डीसी/ डीएम शासन द्वारा योजना केन्द्र की नवीनतम फिजिकल सत्यापन रिपोर्ट। vii. मौजूदा सुविधाओं /बुनियादी सुविधाओं का विवरण। viii. चलाई जा रही वर्तमान गतिविधियां। (ix) कर्मचारी विवरण (योग्यता और अनुभव के साथ)	vi. पंजीकृत संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला फिजिकल जांच रिपोर्ट। vii. पंजीकृत संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र। viii. पंजीकृत संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र। ix. पंजीकृत संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र।
		(II)स्थापना लागत के लिये: पंजीकृत संगठन को प्रारंभ में विकास केन्द्र स्थापित करने के लिये एकमुश्त 1 लाख 95 हजार रुपये की गैर आवर्ती राशि प्रदान की जाएगी।	(II) स्थापना लागत जारी करने के लिये: (ए) स्थापना लागत जारी करने के लिये पंजीकृत संगठन का बैंक विवरण (बी) पंजीकृत संगठन को पब्लिक फाईनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये।
		(III)जीविका लागत के लिये राष्ट्रीय न्यास द्वारा विकास केंद्र को उसकी स्थापना के बाद अधिकतम 3 महीने के लिए मासिक निधि के बराबर, यानी रु. 3850/- प्रति लाभार्थी जीविका लागत दी जायेगी। लाभार्थी द्वारा परिवहन सेवा का उपयोग किये	(III) जीविका लागत के लिये: (i) पंजीकृत संगठन द्वारा प्रस्तुत जीविका निधि अनुरोध प्रपत्र (ii) कार्य शुरू होने की तिथि सहित केन्द्र की स्थापना संबंधी कार्य पूरा होने की रिपोर्ट (iii) स्थानीय स्तरीय समिति, राष्ट्रीय न्यास के अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों (समाज कल्याण

		जाने पर प्रति लाभार्थी 1000 रु की दर से परिवहन शुल्क का भुगतान भी किया जाएगा ।	विभाग के अधिकारी), डीसी, डीएम में से किसी एक के द्वारा फिजिकल जाच के बाद दी गई पूर्णता रिपोर्ट राष्ट्रीय न्यास में धनराशि प्राप्त करने के लिए पहली बार नामांकित होने वाले दिव्यांगजनों को पंजीकृत संगठन द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे:: (i) दिव्यांगजन को 10+ वर्ष की आयु समूह में होना चाहिये। (ii) यूडीआईडी कार्ड/यूडीआईडी नामांकन संख्या (दिव्यांगता प्रमाणपत्र के साथ) (iii) दिव्यांगजन के निरामय का लाभार्थी होने का प्रमाण
--	--	---	--

(IV) मासिक आवर्ती लागत के लिए:

राष्ट्रीय न्यास अपने द्वारा वित्तपोषित विकास केन्द्रों के सभी पात्र दिव्यांगजनों को केन्द्रों में कार्य शुरू होने के पहले महीने से ही मासिक आवर्ती लागत रु. 3850/- + रु. 1000/- परिवहन लागत (यदि लाभार्थी परिवहन सेवा का उपयोग कर रहा है तो) का भुगतान करेगा। बीपीएल/एलआईजी लाभार्थियों में से अधिकतम 30 लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत राशि दी जायेगी।

(V) निगरानी तंत्र: विकास केंद्र की निगरानी प्रत्येक वर्ष में दो बार यानी हर छह महीने के बाद अक्टूबर और मार्च में की जाएगी। विकास केंद्र को प्रति वर्ष अक्टूबर

(IV) मासिक आवर्ती लागत के लिए:

(a) पंजीकृत संगठन को मासिक आवर्ती अनुरोध प्रपत्र प्रस्तुत करना चाहिए

(b) धनराशि प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय न्यास में पहली बार नामांकित होने वाले दिव्यांगजनों को पंजीकृत संगठन द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे::

- दिव्यांगजन को 10+ वर्ष की आयु समूह में होना चाहिये।
- यूडीआईडी कार्ड/यूडीआईडी नामांकन संख्या (दिव्यांगता प्रमाणपत्र के साथ)
- दिव्यांगजन के निरामय का लाभार्थी होने का प्रमाण
- राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अभिभवक या संरक्षक का बीपीएल प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र (एलआईजी या बीपीएल श्रेणी के मामले में)।

सुरक्षित अधिकार: राष्ट्रीय न्यास के पास किसी भी आवश्यकता के संबंध में पूछने अथवा आरओ केन्द्रों में लेखा परीक्षा कराने या जांच कराने के लिये कहने का अधिकार है।

- i. विकास केन्द्र का व्यय विवरण
- ii. पंजीकृत संगठन की वार्षिक रिपोर्ट (वर्ष में एक बार अप्रैल से मार्च तक की रिपोर्ट देनी चाहिये)

		और मार्च के अंत में विकास एक्शन डॉकेट जमा करना चाहिए।	iii. वर्ष का लेखा परीक्षा खाते का विवरण (प्राप्त होने के 6 महीने बाद केवल एक बार प्रस्तुत करनी चाहिये. iv. केपीआई के अनुसार कार्य निष्पादन के समर्थन में दस्तावेज। v. पिछले वर्ष का लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र vi. योजना केन्द्र का जियो टैग फोटो अतिरिक्त जानकारी जैसे स्थानीय परियोजना समिति (एलपीसी की स्थिति) , अवधि के दौरान की गई गतिविधियां आदि।
6	*समर्थ (राहतकारी आवासीय देखभाल) योजना *वर्तमान में योजना के अंतर्गत किसी नई योजना को स्वीकृति नहीं	(I) नामांकन के लिये: समर्थ योजना में नामांकन के लिये पात्रता मानक: i. पंजीकृत संगठन को राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकृत होना चाहिये। ii. दिव्यांगजन अधिनियम 1995/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण/प्रमाणपत्र। iii. पंजीकृत संगठन के पास दिव्यांगों के साथ काम	(I)नामांकन के लिये निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है: i. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र । ii. दिव्यांगजन अधिनियम 1995/ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र। iii. पंजीकृत संगठन द्वारा न्यूनतम 2 वर्ष

दी जा रही है इसलिये किसी नये आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा	करने का न्यूनतम 2 वर्ष और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत चार दिव्यांगताओं में से कम से कम एक दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति के साथ काम करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। iv. सामूहिक आवास भूमि या तो पंजीकृत संगठन के स्वामित्व में होनी चाहिए या कम से कम 5 वर्ष के लिये नवीनीकरण के प्रावधान सहित पट्टे/किराए पर होनी चाहिए। v. पंजीकृत संगठन को योजना के नामांकन के समय राष्ट्रीय न्यास अथवा किसी अन्य सरकारी संगठन से ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिये। vi. समाज कल्याण अधिकारी/ सरकारी अधिकारी/ डीसी/ डीएम शासन द्वारा योजना केन्द्र की नवीनतम फिजिकल सत्यापन रिपोर्ट। vii. मौजूदा सुविधाओं /बुनियादी सुविधाओं का विवरण। viii. चलाई जा रही वर्तमान गतिविधियां। (ix) कर्मचारी विवरण (योग्यता और अनुभव के साथ)	के अनुभव का घोषणापत्र। iv. आवास प्रमाण: स्वामित्व संबंधी दस्तावेज या लीज डीड प्रपत्र। v. पंजीकृत संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र । vi. पंजीकृत संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला फिजिकल जांच रिपोर्ट। vii. पंजीकृत संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र। viii. पंजीकृत संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र। ix. पंजीकृत संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र।
---	---	---

		(II)स्थापना लागत के लिये: पंजीकृत संगठन को प्रारंभ में समर्थ केन्द्र स्थापित करने के लिये एकमुश्त 2 लाख 90 हजार रुपये की गैर आवर्ती राशि प्रदान की जाएगी।	(II) स्थापना लागत जारी करने के लिये: (ए) स्थापना लागत जारी करने के लिये पंजीकृत संगठन का बैंक विवरण (बी) पंजीकृत संगठन को पब्लिक फाईनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये।
		(III)जीविका लागत के लिये राष्ट्रीय न्यास द्वारा समर्थ केंद्र को उसकी स्थापना के बाद अधिकतम 3 महीने के लिए मासिक निधि के बराबर, यानी रु. 7000/- प्रति लाभार्थी जीविका लागत दी जायेगी।	(III) जीविका लागत के लिये: (i) पंजीकृत संगठन द्वारा प्रस्तुत जीविका निधि अनुरोध प्रपत्र (ii) कार्य शुरू होने की तिथि सहित केन्द्र की स्थापना संबंधी कार्य पूरा होने की रिपोर्ट (iii) स्थानीय स्तरीय समिति, राष्ट्रीय न्यास के अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों (समाज कल्याण विभाग के अधिकारी), डीसी, डीएम में से किसी एक के द्वारा फिजिकल जाच के बाद दी गई पूर्णता रिपोर्ट राष्ट्रीय न्यास में धनराशि प्राप्त करने के लिए पहली बार नामांकित होने वाले दिव्यांग निराश्रितों/बेसहारा लोगों को पंजीकृत संगठन द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे: (i) दिव्यांगजन के अनाथ या बेसहारा

			या संकटग्रस्त परिवार से होने के संबंध राज्य सरकार द्वारा अधिकृत जिले के किसी अधिकारी का दस्तावेज। (ii) यूडीआईडी कार्ड/यूडीआईडी नामांकन संख्या (दिव्यांगता प्रमाणपत्र के साथ) (iii) दिव्यांगजन के निरामय का लाभार्थी होने का प्रमाण
		(IV) मासिक आवर्ती लागत के लिये: राष्ट्रीय न्यास अपने द्वारा वित्तपोषित समर्थ केन्द्रों के सभी पात्र दिव्यांगजनों को केन्द्रों में कार्य शुरू होने के पहले महीने से ही मासिक आवर्ती लागत रु. 7000/- का भुगतान करेगा।	(IV) मासिक आवर्ती लागत के लिये: (i) पंजीकृत संगठनों को मासिक आवर्ती अनुरोध प्रपत्र प्रस्तुत करना चाहिये। (ii) राष्ट्रीय न्यास में धनराशि प्राप्त करने के लिए पहली बार नामांकित होने वाले दिव्यांग निराश्रितों/बेसहारा लोगों के लिये पंजीकृत संगठन द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे: ए) दिव्यांगजन के अनाथ या बेसहारा या संकटग्रस्त परिवार से होने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत जिले के किसी अधिकारी का दस्तावेज। बी) यूडीआईडी कार्ड/यूडीआईडी नामांकन संख्या (दिव्यांगता

			प्रमाणपत्र के साथ) (सी) दिव्यांगजन के निरामय का लाभार्थी होने का प्रमाण (iii) अनाथ/बेसहारा दिव्यांगों के अलावा अन्य सभी दिव्यांगों के लिए जो धन प्राप्त करने के लिए पहली बार समर्थ केंद्रों में नामांकन कर रहे हैं, पंजीकृत संगठन द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने चाहिये: ए) दिव्यांगता प्रमाणपत्र बी) संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अभिभवक या संरक्षक का बीपीएल प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र (एलआईजी या बीपीएल श्रेणी के मामले में) सी) दिव्यांगजन के निरामय का लाभार्थी होने का प्रमाण <u>सुरक्षित अधिकार: राष्ट्रीय न्यास के पास किसी भी आवश्यकता के संबंध में पूछने अथवा आरओ केन्द्रों में लेखा परीक्षा कराने या जांच कराने के लिये कहने का अधिकार है।</u>
		(V) कार्य केन्द्र: राष्ट्रीय न्यास प्रस्ताव की व्यवहार्यता को मान्यता देने के बाद मौजूदा पंजीकृत संगठनों द्वारा खोले गये कार्य केन्द्रों की स्थापना लागत राशि देने	पंजीकृत संगठन कार्य केन्द्रों के लिये निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध करायेंगे: i. पंजीकृत संगठन कार्यकेन्द्र के प्रकार, वित्तीय प्रस्ताव, काम पर रखे गये दिव्यांगजनों की संख्या, कार्य केन्द्रों के

		पर भी विचार करेगा।	स्थान सहित कार्य केन्द्र का प्रस्ताव। ii. दिव्यांगजन का विवरण (प्रशिक्षण केन्द्र के साथ नाम, आयु, लिंग, कौशल, भाग लिये गये व्यावसायिक प्रशिक्षण) iii. पंजीकृत संगठन का यह घोषणा पत्र कि उपर्युक्त दिव्यांगजन को कार्य केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा और उसके पास कार्य केन्द्रों में काम करने के लिये आवश्यक कौशल है।
		(VI) निगरानी तंत्र: समर्थ केंद्र की निगरानी प्रत्येक वर्ष में दो बार यानी हर छह महीने के बाद अक्टूबर और मार्च में की जाएगी। समर्थ केंद्र को प्रति वर्ष अक्टूबर और मार्च के अंत में समर्थ एक्शन डॉकेट जमा करना चाहिए।	(i) समर्थ केन्द्र का व्यय विवरण (ii) पंजीकृत संगठन की वार्षिक रिपोर्ट (वर्ष में एक बार अप्रैल से मार्च तक की रिपोर्ट देनी चाहिये। (iii) वर्ष का लेखा परीक्षा खाते का विवरण (प्राप्त होने के 6 महीने बाद केवल एक बार प्रस्तुत करनी चाहिये) (iv) केपीआई के अनुसार कार्य निष्पादन के समर्थन में दस्तावेज। (v) पिछले वर्ष का लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र (vi) योजना केन्द्र का जियो टैग फोटो (vii) अतिरिक्त जानकारी जैसे स्थानीय परियोजना समिति (एलपीसी) की स्थिति , अवधि के दौरान की गई गतिविधियां आदि।
7	*घरौंदा	(I) नामांकन के लिये: घरौंदा योजना में नामांकन के लिये पात्रता	(I)नामांकन के लिये निम्नलिखित दस्तावेजों

(वयस्कों के लिये सामूहिक आवास) योजना *वर्तमान में योजना के अंतर्गत किसी नये कार्यक्रम को स्वीकृति नहीं दी जा रही है इसलिये किसी नये आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा	मानक: i. पंजीकृत संगठन को राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकृत होना चाहिये। ii. दिव्यांगजन अधिनियम 1995/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण/प्रमाणपत्र। iii. पंजीकृत संगठन के पास दिव्यांगों के साथ काम करने का न्यूनतम 2 वर्ष और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत चार दिव्यांगताओं में से कम से कम एक दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति के साथ काम करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। iv. सामूहिक आवास भूमि या तो पंजीकृत संगठन के स्वामित्व में होनी चाहिए या कम से कम 5 वर्ष के लिये नवीनीकरण के प्रावधान सहित पट्टे/किराए पर होनी चाहिए। v. पंजीकृत संगठन को योजना के नामांकन के समय राष्ट्रीय न्यास अथवा किसी अन्य सरकारी संगठन से ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिये।	की आवश्यकता होती है: i. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र। ii. दिव्यांगजन अधिनियम 1995/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र। iii. पंजीकृत संगठन द्वारा न्यूनतम 2 वर्ष के अनुभव का घोषणापत्र। iv. आवास प्रमाण: स्वामित्व संबंधी दस्तावेज या लीज डीड प्रपत्र। v. पंजीकृत संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र।
---	--	--

		vi. समाज कल्याण अधिकारी/ सरकारी अधिकारी/ डीसी/ डीएम शासन द्वारा योजना केन्द्र की नवीनतम फिजिकल सत्यापन रिपोर्ट। vii. मौजूदा सुविधाओं /बुनियादी सुविधाओं का विवरण। viii. चलाई जा रही वर्तमान गतिविधियां। (ix) कर्मचारी विवरण (योग्यता और अनुभव के साथ)	vi. पंजीकृत संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला फिजिकल जांच रिपोर्ट। vii. पंजीकृत संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र। viii. पंजीकृत संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र। ix. पंजीकृत संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र।
		(II)स्थापना लागत के लिये: पंजीकृत संगठन को प्रारंभ में घरौंदा केन्द्र स्थापित करने के लिये एकमुश्त 2 लाख 90 हजार रुपये की गैर आवर्ती राशि प्रदान की जाएगी।	(II) स्थापना लागत जारी करने के लिये: (ए) स्थापना लागत जारी करने के लिये पंजीकृत संगठन का बैंक विवरण (बी) पंजीकृत संगठन को पब्लिक फाईनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये।
		(III) मासिक आवर्ती लागत के लिये: राष्ट्रीय न्यास अपने द्वारा वित्तपोषित घरौंदा केन्द्रों के सभी पात्र दिव्यांगजनों को केन्द्रों में कार्य शुरू होने के पहले महीने से ही मासिक आवर्ती लागत रु. 10000/- का भुगतान करेगा।	(III) मासिक आवर्ती लागत के लिये: (i) पंजीकृत संगठनों को मासिक आवर्ती अनुरोध प्रपत्र प्रस्तुत करना चाहिये। (ii) राष्ट्रीय न्यास में धनराशि प्राप्त करने के लिए पहली बार नामांकित होने वाले दिव्यांग निराश्रितों/बेसहारा लोगों के लिये पंजीकृत संगठन द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध

कराने होंगे:

ए) दिव्यांगजन के अनाथ या बेसहारा या संकटग्रस्त परिवार से होने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत जिले के किसी अधिकारी का दस्तावेज।

बी) यूडीआईडी कार्ड/यूडीआईडी नामांकन संख्या (दिव्यांगता प्रमाणपत्र के साथ)

(सी) दिव्यांगजन के निरामय का लाभार्थी होने का प्रमाण

(iii) अनाथ/बेसहारा दिव्यांगों के अलावा अन्य सभी दिव्यांगों के लिए जो धन प्राप्त करने के लिए पहली बार समर्थ केंद्रों में नामांकन कर रहे हैं, पंजीकृत संगठन द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने चाहिये:

ए) यूडीआईडी कार्ड/यूडीआईडी नामांकन संख्या (दिव्यांगता प्रमाणपत्र के साथ)

बी) संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अभिभवक या संरक्षक का बीपीएल प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र (एलआईजी या बीपीएल श्रेणी के मामले में)

सी) दिव्यांगजन के निरामय का लाभार्थी होने का प्रमाण

iv. समर्थ केंद्र से घरों/दा केंद्र में स्थानांतरित किए गए दिव्यांगजनों को धन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय न्यास के

साथ पहली बार पंजीकृत होने के लिए पंजीकृत संगठनों द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने चाहिये:

ए) यूडीआईडी कार्ड/यूडीआईडी नामांकन संख्या (दिव्यांगता प्रमाणपत्र के साथ)

बी) संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अभिभवक या संरक्षक का बीपीएल प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र (एलआईजी या बीपीएल श्रेणी के मामले में)

सी) दिव्यांगजन के निरामय का लाभार्थी होने का प्रमाण

v. केन्द्र में पंजीकृत एपीएल दिव्यांगजनों के लिये पंजीकृत संगठनों द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने चाहिये:

ए) यूडीआईडी कार्ड/यूडीआईडी नामांकन संख्या (दिव्यांगता प्रमाणपत्र के साथ)

बी) दिव्यांगजन के निरामय का लाभार्थी होने का प्रमाण

सुरक्षित अधिकार: राष्ट्रीय न्यास के पास किसी भी आवश्यकता के संबंध में पूछने अथवा आरओ केन्द्रों में लेखा परीक्षा कराने या जांच कराने के लिये कहने का अधिकार है।

		(IV) कार्य केन्द्र: राष्ट्रीय न्यास प्रस्ताव की व्यवहार्यता को मान्यता देने के बाद मौजूदा पंजीकृत संगठनों द्वारा खोले गये कार्य केन्द्रों की स्थापना लागत राशि देने पर भी विचार करेगा।	(IV) पंजीकृत संगठन कार्य केन्द्रों के लिये निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध करायेंगे: (i) पंजीकृत संगठन कार्य केन्द्र के प्रकार, वित्तीय प्रस्ताव, काम पर रखे गये दिव्यांगजनों की संख्या, कार्य केन्द्रों के स्थान सहित कार्य केन्द्र का प्रस्ताव। (ii) दिव्यांगजन का विवरण (प्रशिक्षण केन्द्र के साथ नाम, आयु, लिंग, कौशल, भाग लिये गये व्यावसायिक प्रशिक्षण) (iii) पंजीकृत संगठन का यह घोषणा पत्र कि उपर्युक्त दिव्यांगजन को कार्य केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा और उसके पास कार्य केन्द्रों में काम करने के लिये आवश्यक कौशल है।
		(V) निगरानी तंत्र: घरौंदा केंद्र की निगरानी प्रत्येक वर्ष में दो बार यानी हर छह महीने के बाद अक्टूबर और मार्च में की जाएगी। घरौंदा केंद्र को प्रति वर्ष अक्टूबर और मार्च के अंत में घरौंदा एक्शन डॉकेट जमा करना चाहिए।	(i) घरौंदा केन्द्र का व्यय विवरण (ii) पंजीकृत संगठन की वार्षिक रिपोर्ट (वर्ष में एक बार अप्रैल से मार्च तक की रिपोर्ट देनी चाहिये।) (iii) वर्ष का लेखा परीक्षा खाते का विवरण (प्राप्त होने के 6 महीने बाद केवल एक बार प्रस्तुत करनी चाहिये।)

			(iv) केपीआई के अनुसार कार्य निष्पादन के समर्थन में दस्तावेज। (v) पिछले वर्ष का लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र (vi) योजना केन्द्र का जियो टैग फोटो (vii) अतिरिक्त जानकारी जैसे एलपीसी की स्थिति , अवधि के दौरान की गई गतिविधियां आदि।
--	--	--	--

5. सेवा मानकों की आवश्यकता

क्रम सं.	सेवा/कार्य	सफलता सूचक	सांकेतिक समय सीमा
1	पंजीकरण	(I) गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण/नवीनीकरण सभी आवेदन ऑनलाइन जमा किये जाते हैं और उन पर ऑनलाइन कार्रवाई की जाती है।	पूरी तरह से ऑनलाइन भरे गये आवेदनों का अनुमोदन आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 21 कार्य दिवस में होता है
		(II) पंजीकरण प्रमाण पत्र का जारी होना सूचीबद्ध सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी प्राप्त होने पर प्रमाणपत्र ऑनलाइन जनरेट किया जा सकता है	अनुमोदन के बाद तुरन्त
2	स्थानीय स्तरीय	(1) स्थानीय स्तरीय समिति	(1) धारा 13(4) के अनुसार प्रति तीन महीने में कम से कम एक बार या किसी भी आवश्यक

	समिति और कानूनी संरक्षकता	डीसी/डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तर पर स्थानीय स्तरीय समिति का गठन सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ राष्ट्रीय न्यास के पत्र के अनुसार किया जाता है।	अंतराल पर स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक करना अनिवार्य है। इसलिए दिव्यांगजनों के हित में संरक्षकता के लिए आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए समिति की जितनी आवश्यक हो उतनी बैठकें आयोजित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सहयोजित अतिरिक्त सदस्य - स्थानीय स्तर की समिति को सलाह दी गई है कि वे अपने कामकाज में सहायता के लिए वैधानिक सदस्यों के अलावा निम्नलिखित को सहयोजित सदस्यों के रूप में शामिल करें:- i. जिला समाज न्याय अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी/जिला पुनर्वास अधिकारी ii. सिविल सर्जन अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी iii. जिला अस्पताल के मनोचिकित्सक iv. जिले में जाने माने एक अधिवक्ता उपरोक्त के अलावा स्थानीय स्तरीय समिति मामले में न्याय प्रदान करने और प्रभावी कामकाज के लिए किसी अन्य सरकारी अधिकारी या दिव्यांगता विशेषज्ञ को शामिल कर सकता है। स्थानीय स्तरीय समिति का गठन 3 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। सरकारी अधिकारी या दिव्यांगता विशेषज्ञ को भी शामिल कर सकता है। इस समिति का गठन 3 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है।
--	----------------------------------	--	---

		(II) कानूनी संरक्षकता ऑनलाइन आवेदन जमा करने और दस्तावेजों तथा अन्य प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बाद स्थानीय स्तर की समिति कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति करती है।	सभी दस्तावेजों की प्राप्ति और स्थानीय स्तर की समिति के सत्यापन के आधार पर।
3	निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना	(I) नये और नवीनीकरण के आवेदनो पर कार्रवाई (a) पंजीकृत संगठनों का नामांकन: राष्ट्रीय न्यास के सभी पंजीकृत संगठन डैशबोर्ड में उपलब्ध लिंक के माध्यम से योजना पंजीकरण को सक्रिय कर सकते हैं। (b) दिव्यांगजनों का नामांकन और नवीनीकरण: पॉलिसी के लिए नामांकन/नवीनीकरण राष्ट्रीय न्यास के	पंजीकृत संगठन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत राष्ट्रीय संस्थान और राष्ट्रीय संस्थानों के अंतर्गत समग्र क्षेत्रीय केंद्र तथा व्यक्तिगत लाभार्थी और उनके देखभालकर्ता योजना के लिए लाभार्थियों का नामांकन और नवीनीकरण कर सकते हैं। दिव्यांगजन या उनके संरक्षक वेबसाइट के निरामय कार्ड एरिया में दिए गए लिंक पर क्लिक करके नामांकन/नवीनीकरण फॉर्म स्वयं भर सकते हैं। यदि शुल्क सहित आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है तो 15-20 दिन में स्वास्थ्य कार्ड जारी कर दिया जाता है। योजना के तहत लाभ, बीमा कंपनी द्वारा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की तिथि से वर्ष के 31 मार्च तक प्राप्त किया जा सकता है।

	पंजीकृत संगठनों, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत राष्ट्रीय संस्थानों और राष्ट्रीय संस्थानों के अंतर्गत समग्र क्षेत्रीय केंद्रों और व्यक्तिगत लाभार्थियों और उनके देखभालकर्ताओं द्वारा यूडीआईडी कार्ड नंबर या यूडीआईडी नामांकन संख्या (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ) प्रदान करने के बाद किया जा सकता है।	
	(II) नया/नवीनीकृत स्वास्थ्य आईडी नंबर जारी करना/ ई-कार्ड को प्रिंट करना ई-कार्ड को राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट के होम पेज के निरामय/निरामय कार्ड शीर्षक के अंतर्गत प्रिंट किया जा सकता है।	हेल्थ ई-कार्ड राष्ट्रीय न्यास के पोर्टल/वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
	(III) बीमा दावों का निपटान: निरामय के तहत बिल निपटान के लिए दावा प्रपत्र, केवल प्रतिपूर्ति के आधार पर, उपचार या अस्पताल से छुट्टी के 30 दिनों के	बीमा कंपनी बिलों का निपटान पूरी तरह से भरे गये आवेदनों की प्राप्ति तिथि से 15 कार्य दिवसों के अंदर करती है

		भीतर संबंधित वाउचर/बिल आदि के साथ निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा। दावा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है और बीमा कंपनी द्वारा अधिकृत तीसरे पक्ष एडमिनिस्ट्रेटर को भेजा जा सकता है।	
		(IV) पंजीकृत संगठनों को मानदेय पंजीकृत संगठनों से ऑनलाइन प्राप्त नए/नवीनीकरण आवेदन डेटा के आधार पर देय राशि की गणना की जाती है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान किया जाता है। हालाँकि, यदि देय राशि नगण्य है (रु. 500/- से कम) तो भुगतान में विलंब हो सकता है क्योंकि इसे अन्य अनुदानों के साथ जोड़कर जारी किया जाता है।	पॉलिसी वर्ष की समाप्ति पर

4	दिशा (बाल्यकालिक हस्तक्षेप और तैयारी) योजना	(I) नामांकन के लिये: (a) पंजीकृत संगठनों के नामांकन के आवेदन पर कार्रवाई करने में लगने वाला समय (b) आवेदन योजना शुल्क के लिये 1,000 रुपये के भुगतान के बाद नामांकन के लिए पंजीकृत संगठन के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन	पंजीकृत संगठनों के सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सही पाये जाने पर 10 दिनों के भीतर योजना को मंजूरी देनी चाहिये और पंजीकृत संगठन को 25 दिनों के भीतर योजना आईडी प्रदान करनी चाहिये।
		(II) स्थापना लागत निधि का वितरण: राष्ट्रीय न्यास द्वारा एक बार दिशा केंद्र आवेदन मंजूर करने के बाद स्थापना निधि वितरित कर दी जाएगी	पंजीकृत संगठन के नामांकन के बाद 15 दिनों के भीतर राशि वितरित कर दी जायेगी
		(III) जीविका लागत निधि का वितरण: योजना शुरू होने के शुरूआती 3 महीनों के दौरान जीविका लागत निधि के वितरण की	पंजीकृत संगठन से दस्तावेज प्राप्त होने और राष्ट्रीय न्यास द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

		प्रक्रिया की जायेगी	
		(IV) मासिक आवर्ती लागत निधि का वितरण: प्रति महीने मासिक आवर्ती लागत निधि के वितरण की प्रक्रिया जीविका अवधि (जीविका अवधि योजना शुरू होने के बाद अधिकतम 3 महीने है) समाप्त होने के बाद की जायेगी ।	पंजीकृत संगठन से दस्तावेज प्राप्त होने और राष्ट्रीय न्यास द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
5	विकास(डे-केयर) योजना	(I) नामांकन के लिये: (a) पंजीकृत संगठनों के नामांकन के आवेदन पर कार्रवाई करने में लगने वाला समय (b) योजना शुल्क के लिये 1,000 रुपये के भुगतान के बाद नामांकन के लिए पंजीकृत संगठन के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन	पंजीकृत संगठनों के सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सही पाये जाने पर 10 दिनों के भीतर योजना को मंजूरी देनी चाहिये और पंजीकृत संगठन को 25 दिनों के भीतर योजना आईडी प्रदान करनी चाहिये।
		(II) स्थापना लागत निधि का वितरण: राष्ट्रीय न्यास द्वारा एक बार विकास केंद्र आवेदन मंजूर करने के बाद स्थापना निधि	पंजीकृत संगठन के नामांकन के बाद 15 दिनों के भीतर राशि वितरित कर दी जायेगी

		वितरित कर दी जाएगी	
		(III) जीविका लागत निधि का वितरण: योजना शुरू होने के शुरूआती 3 महीनों के दौरान जीविका लागत निधि के वितरण की प्रक्रिया की जायेगी	पंजीकृत संगठन से दस्तावेज प्राप्त होने और राष्ट्रीय न्यास द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
		(IV) मासिक आवर्ती लागत निधि का वितरण: प्रति महीने मासिक आवर्ती लागत निधि के वितरण की प्रक्रिया जीविका अवधि (जीविका अवधि योजना शुरू होने के बाद अधिकतम 3 महीने है) समाप्त होने के बाद की जायेगी ।	पंजीकृत संगठन से दस्तावेज प्राप्त होने और राष्ट्रीय न्यास द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
6	समर्थ (राहतकारी देखभाल) योजना	(I) नामांकन के लिये: (a) पंजीकृत संगठनों के नामांकन के आवेदन पर कार्रवाई करने में लगने वाला समय (b) योजना शुल्क के लिये 1,000 रुपये के भुगतान के बाद नामांकन के लिए पंजीकृत संगठन के	पंजीकृत संगठनों के सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सही पाये जाने पर 10 दिनों के भीतर योजना को मंजूरी देनी चाहिये और पंजीकृत संगठन को 25 दिनों के भीतर योजना आईडी प्रदान करनी चाहिये।

		माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन	
		(II) स्थापना लागत निधि का वितरण: राष्ट्रीय न्यास द्वारा एक बार समर्थ केंद्र आवेदन मंजूर करने के बाद स्थापना निधि वितरित कर दी जाएगी	पंजीकृत संगठन के नामांकन के बाद 15 दिनों के भीतर राशि वितरित कर दी जायेगी
		(III) जीविका लागत निधि का वितरण: योजना शुरू होने के शुरुआती 3 महीनों के दौरान जीविका लागत निधि के वितरण की प्रक्रिया की जायेगी	पंजीकृत संगठन से दस्तावेज प्राप्त होने और राष्ट्रीय न्यास द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
		(IV) मासिक आवर्ती लागत निधि का वितरण: प्रति महीने मासिक आवर्ती लागत निधि के वितरण की प्रक्रिया जीविका अवधि (जीविका अवधि योजना शुरू होने के बाद अधिकतम 3 महीने हैं) समाप्त होने के बाद की जायेगी ।	पंजीकृत संगठन से दस्तावेज प्राप्त होने और राष्ट्रीय न्यास द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
7	घरौंदा (वयस्कों के लिए	(I)) नामांकन के लिये: (a) पंजीकृत संगठनों के	पंजीकृत संगठनों के सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सही पाये जाने पर 10 दिनों के

	सामूहिक आवास) योजना	नामांकन के आवेदन पर कार्रवाई करने में लगने वाला समय (b) योजना शुल्क के लिये 1,000 रुपये के भुगतान के बाद नामांकन के लिए पंजीकृत संगठन के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन	भीतर योजना को मंजूरी देनी चाहिये और पंजीकृत संगठन को 25 दिनों के भीतर योजना आईडी प्रदान करनी चाहिये।
		(II) स्थापना लागत निधि का वितरण: राष्ट्रीय न्यास द्वारा एक बार समर्थ केंद्र आवेदन मंजूर करने के बाद स्थापना निधि वितरित कर दी जाएगी.	पंजीकृत संगठन के नामांकन के बाद 15 दिनों के भीतर राशि वितरित कर दी जायेगी
		(III) मासिक आवर्ती लागत निधि का वितरण: सेटअप के बाद प्रति महीने मासिक आवर्ती लागत के लिए निधि वितरण की प्रक्रिया	पंजीकृत संगठन से दस्तावेज प्राप्त होने और राष्ट्रीय न्यास द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

6. संपर्क किये जाने वाले व्यक्ति

क्रम सं..	योजना का नाम	कार्रवाई करने वाले कर्मचारी का संपर्क विवरण	एस्केलेशन अधिकारी का संपर्क विवरण
1	संगठनों का पंजीकरण	श्री तिलक राज कार्यालय सहायक दूरभाष: 011-65216013 मोबाइल: 9899485478 ई-मेल: tilak@thenationaltrust.in	श्री राजेश सचदेवा उप-निदेशक दूरभाष.: 011-65216003 मोबाइल.: 9810388068 ई-मेल: dd@thenationaltrust.in
2	स्थानीय स्तरीय समिति एवं कानूनी संरक्षकता	श्रीमती श्रेष्ठा साहनी निजी सचिव दूरभाष.: 011-65216006 ई-मेल: shreshtha@thenationaltrust.in	श्री राजेश सचदेवा उप-निदेशक दूरभाष.: 011-65216003 मोबाइल.: 9810388068 ई-मेल: dd@thenationaltrust.in
3	निरामय (स्वास्थ्य बीमा) योजना	श्रीमती मोनिक वाधवा सहायक दूरभाष.: 011-65216007 ई-मेल: monika@thenationaltrust.in श्री गौरव वर्मा कार्यालय सहायक दूरभाष.: 011-65216007 ई-मेल: gaurav@thenationaltrust.in	श्री राजेश सचदेवा उप-निदेशक दूरभाष.: 011-65216003 मोबाइल.: 9810388068 ई-मेल: dd@thenationaltrust.in
4	दिशा (बाल्यकालिक हस्तक्षेप तैयारी) योजना	श्री सुमित रावत कार्यालय सहायक दूरभाष.: 011-65216015 मोबाइल.: 9643669251 ई-मेल: sumit@thenationaltrust.in	नवनीत कुमार सलाहकार दूरभाष.: 011-65216004 मोबाइल.: 9868121465 ई-मेल: po@thenationaltrust.in
5	विकास (डे-केयर) योजना		
6	दिशा-सह-विकास (डे-केयर) योजना		
7	समर्थ (राहतकारी)		नवनीत कुमार

	देखभाल) योजना	श्रीमती पुष्पा पांडेय कार्यालय सहायक	सलाहकार
8	घरोंदा (वयस्कों के लिये सामूहिक आवास) योजना	दूरभाष.: 011-65216014 ई-मेल: pushpa@thenationaltrust.in	दूरभाष.: 011-65216004 मोबाइल.: 9868121465 ई-मेल: po@thenationaltrust.in
9	समर्थ-सह-घरोंदा (आवासीय) योजना		
10	बढ़ते कदम (जागरूकता, सामुदायिक संवाद और अभिनव परियोजना)	श्रीमती मुस्कान खुल्लर कार्यक्रम एसोसिएट दूरभाष: 011-65216011 ई-मेल muskan@thenationaltrust.in contactus@thenationaltrust.in	नवनीत कुमार सलाहकार दूरभाष.: 011-65216004 मोबाइल.: 9868121465 ई-मेल: po@thenationaltrust.in .in
11	राज्य नोडल एजेंसी केन्द्र	सुश्री ज्योति कश्यप कार्यालय सहायक दूरभाष: 011-65216008 ई-मेल: jyoti@thenationaltrust.in	
12	सहयोगी (देखभालकर्ता प्रशिक्षण योजना)		
13	हिन्दी अनुवादक-सह-टंकक	श्री एस बी त्रिपाठी हिन्दी सलाहकार ई-मेल: sb.tripathi@thenationaltrust.in	अमित कुमार आशुतोष लेखा अधिकारी दूरभाष: 011-65216005 मोबाइल.: 9773913967 ई-मेल: ao@thenationaltrust.in
14	कानूनी सलाहकार	श्रीमती साक्षी पांचाल कानूनी सलाहकार दूरभाष: 011-65216016 ई-मेल: legal@thenationaltrust.gov.in	श्री राजेश सचदेवा उप-निदेशक दूरभाष.: 011-65216003 मोबाइल.: 9810388068 ई-मेल: dd@thenationaltrust.in

15	तकनीकी सहायता	श्री पंकज श्रीवास्तव तकनीकी सलाहकार दूरभाष: 011-65216009 ई-मेल: Pankaj@thenationaltrust.gov.in	श्री राजेश सचदेवा उप-निदेशक दूरभाष.: 011-65216003 मोबाइल.: 9810388068 ई-मेल: dd@thenationaltrust.in
16	लेखा शाखा	श्रीमती वंदना चोपड़ा प्रोग्राम एसोसिएट दूरभाष: 011-65216010 ई-मेल: vandana@thenationaltrust.gov.in श्री दीपक रावंत कार्यालय सहायक दूरभाष: 011-65216010 ई-मेल: deepak@thenationaltrust.gov.in	अमित कुमार आशुतोष लेखा अधिकारी दूरभाष: 011-65216005 मोबाइल.: 9773913967 ई-मेल: ao@thenationaltrust.in

7. नागरिक चार्टर के लिये नोडल अधिकारी

क्रम सं.	नोडल अधिकारी का नाम	ईमेल आईडी	दूरभाष एवं मोबाइल
1	श्री राजेश सचदेवा उप-निदेशक	dd@thenationaltrust.in	दूरभाष.: 011-65216003 मोबाइल.: 9810388068

8. लोक शिकायत निवारण तंत्र (वेबसाइट <http://pgportal.gov.in> पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है)

(I) पीजी पोर्टल शिकायत निवारण

क्रम सं.	नोडल अधिकारी का नाम	ईमेल आईडी	दूरभाष एवं मोबाइल

1	अमित कुमार आशुतोष लेखा अधिकारी	ao@thenationaltrust.in	दूरभाष.: 011-65216005 मोबाइल.: 9773913967
---	--------------------------------------	--	--

(II) सूचना का अधिकार सीपीआईओ

क्रम सं.	नोडल अधिकारी का नाम	ईमेल आईडी	दूरभाष एवं मोबाइल
1	अमित कुमार आशुतोष लेखा अधिकारी	ao@thenationaltrust.in	दूरभाष.: 011-65216005 मोबाइल.: 9773913967

9. हितधारकों की सूची

क्रम सं.	हितधारक का विवरण
1	पंजीकृत संगठन
2	स्थानीय स्तरीय समिति
3	कानूनी संरक्षक

10. सेवा प्राप्तकर्ताओं से अपेक्षाएँ

- सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकरण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
- पंजीकरण नवीनीकरण के लिये इसके समाप्त होने से 6 महीने पहले आवेदन करें।
- निरामय योजना के तहत दावों के सुचारु निपटान के लिए सभी अनुलग्नकों के साथ पूरा दावा प्रपत्र जमा करें।
- निरामय पॉलिसी का नवीनीकरण ऑनलाइन करें।
- राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर निर्देशों को नियमित रूप से पढ़ें।
- नागरिक पहले से समय लेकर राष्ट्रीय न्यास के अधिकारियों से मिल सकते हैं।